(6)

प्रकरण संख्याः 12/2022
रामप्यारी बनाम प्रभूलाल वगै0
निर्णय दिनांकः 27.09.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 12/2022
दायर दिनांकः 24.02.2022
निर्णय दिनांकः 27.09.2022

उनवान

रामप्यारी पत्नि नाथूलाल जाति माली निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थीनी

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र सुवालाल जाति माली निवासी राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. शंभूलाल पुत्र सुवालाल जाति माली निवासी राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति माली निवासी राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. रामकुरी पत्नि सुवालाल जाति माली निवासी राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 12/2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी रामप्यारी पत्नि नाथूलाल जाति माली निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेशकर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 सह–खातेदार हैं। आगे प्रार्थना–पत्र में इसे आराजी वादग्रस्त सम्बोधित किया गया है। आराजी वादग्रस्त में प्रार्थीनी का 50/53 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 का 3/53 हिस्सा है। आराजी वादग्रस्त कानूनन अविभाजित है, परन्तु प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण ने मौके पर अपने उपरोक्त हिस्सानुसार मनबट से विभाजन कर रखा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थीनी के हिस्से के भू–भाग से कोई सरोकार वास्ता नहीं है। परन्तु वे हर बार फसल के समय पर प्रार्थीनी के हिस्से के भू–भाग को दबाकर अतिक्रमण करने हेतु आमादा रहते हैं, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थीनी को मजबूरन तकास्मा बाबत् प्रकरण प्रस्तुत करना लाजिम आया है। दिनांक 15.10.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 आराजी वादग्रस्त पर प्रार्थीनी के हिस्से के भू–भाग पर आ गये तथा प्रार्थीनी से कहा कि हम तुम्हारी भूमि पर काश्त करेगे। इस पर प्रार्थीनी व उसके परिवारजन द्वारा प्रतिरोध करने पर वे लडाई झगडे पर आमादा हो गये, परन्तु वहां उपस्थित लोगों ने उन्हे समझाकर भेज दिया। वे धमकी देकर गये कि अब आगे हम तुम्हारे हिस्से के भू–भाग पर जबरन कब्जा करेगे तुम्हें जो करना है सो कर लेना। अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं

लगातार....2....

दस्तावेजात से प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा संतुलन की तुला भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2125 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2132 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2158 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 आराजी वादग्रस्त पर प्रार्थीनी के हिस्से के भू–भाग पर जबरन कब्जा करने से, उस पर प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने से ताफैसला वाद प्रतिबंधित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से जवाब मय प्रति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आराजी वादग्रस्त खसरा नम्बर 2121, 2125, 2131, 2132, 2157, 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा के अतिरिक्त आराजी खसरा नम्बर 1553 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके कस्बा लालसोट में थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1553 रकबा 3 बिस्वा गै0 मु0 चाह एवं 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का हिस्सा 50/53 यानि 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीनी को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2010 को विक्रय की थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 3341 दिनांक 25.02.2010 को प्रार्थीनी के पक्ष में हो गया। प्रार्थीनी ने उक्त भूमि को धर्मपालसिंह राजपूत को दिनांक 06.04.2010 को जरिए पंजीकृत बेचान पत्र विक्रय कर दी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 3384 क्रेता धर्मपालसिंह के नाम पर दिनांक 04.06.2010 को स्वीकार हुआ है। धर्मपालसिंह ने कृषक भूमि को प्राधिकृत भूमि रूपान्तरण अधिकारी लालसोट में आवेदन कर भूमि आबादी में सम्परिवर्तित करवा ली। उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या–4041 नगर पालिका के नाम तस्दीक हो गया। यानि भूमि खसरा नम्बर 1553 व 1554 दोनों नम्बरों की खातेदारी कृषि भूमि के रूप में शेष नही रही। प्रार्थीनी के नाम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का कोई भू–भाग शेष नहीं है। सम्वत 2068–2071 की जमाबंदी बनाते समय प्रार्थीनी ने पटवारी हल्का से षडयंत्र कर आराजी वादग्रस्त की खातेदारी में अपना हिस्सा 50/53 एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा 3/53 अंकित करवा लिया। जबकि आराजी वादग्रस्त का हिस्सा 50/53 अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी को विक्रय नहीं किया गया था। मात्र खसरा नम्बर 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का हिस्सा 50/53 दिनांक 28.01.2010 को विक्रय किया था, जिसे प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 06.4.2010 को धर्मपाल सिंह को विक्रय कर दिया। इस प्रकार प्रार्थीनी के पक्ष में आराजी वादग्रस्त के हिस्सा 50/53 के अंकन बहैसियत सह–खातेदार अनाधिकृत एवं अवैध अंकित है, जो विलोपनीय है। अप्रार्थीगण ने जमाबंदी सम्वत 2068–2071 में किये गये गलत अंकन के विरूद्ध न्यायालय में वाद दुरूस्ती अंकन राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, लालसोट को पक्षकार बनाकर दिनांक 09.10.2019 को प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार, लालसोट ने अप्रार्थीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर दिनांक 23.12.2019 को जवाब के चरण संख्या–5 व 6 में वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर प्रार्थीनी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थीनी का हिस्सा 50/53 के अंकन को जमाबंदी सम्वत 2068–2071 में भूलवश अंकित होना स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से न्यायालय में प्रस्तुत वाद दुरूस्ती इन्द्राज जो मात्र

लगातार....3....

तहसीलदार, लालसोट को अप्रार्थी पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया था, को न्यायालय में आवेदन कर सशर्त न्यायालय अनुमति से विड्रा कर लिया तथा न्यायालय में वाद उनवानी प्रभुलाल बनाम रामप्यारी आदि दिनांक 05.02.2021 को प्रस्तुत किया है, जिसमें अप्रार्थीनी रामप्यारी की ओर से अभिभाषक श्री देवीसिंह उपस्थित हो चुके है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शीर्षक वाद पश्चात्वर्ती वाद है। उपरोक्त तथ्यों से अप्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित है। सुविधा सन्तुलन की तुला भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा प्रार्थीनी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंन्द फरमाया जावे कि वे आराजी वादग्रस्त खसरा नम्बर 2121, 2125, 2131, 2132, 2157, 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा के किसी खसरा नम्बर या किसी भू–भाग पर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने, उक्त भूमि पर स्थित प्राकृतिक पैदावार को क्षति कारित करने से स्वयं अपने परिवाजन, सेवकों, साथियों सहित प्रतिबन्धित रहें। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से किसी भी खसरा नम्बर या समस्त खसरा नम्बर की भूमि का हस्तान्तरण प्रलेख किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में निष्पादित अथवा पंजीकृत नहीं करावें। एचडीएफसी बैंक शाखा, लालसोट से प्राप्त ऋण का स्वयं भुगतान करें।

प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थीनी की ओर से बहस के दौरान कथन किया गया कि आराजी वादग्रस्त खसरा नम्बर 2121, 2125, 2131, 2132, 2157, 2158 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वाके लालसोट तहसील लालसोट में स्थित है, जिसमें प्रार्थीनी का हिस्सा 50/53 एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा 3/50 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीनी रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण हर बार काश्त के समय पर प्रार्थीनी के हिस्से के भू–भाग को दबाकर अतिक्रमण करने हेतु आमादा रहते हैं, इसलिए प्रार्थीनी तकास्मा कराना चाहती है। अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार लालसोट की जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, वह उद्घोषणा दावे की है, जो दावा खारिज हो गया। तकास्मा हेतु वर्तमान जमाबंदी देखी जायेगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया है।

बहस के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय कभी प्रार्थीनी को किया ही नहीं। केवल खसरा नम्बर 1553 रकबा 3 बिस्वा एवं 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का हिस्सा 50/53 प्रार्थीनी को विक्रय किया था। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी ख0 नं0 1553 व 1554 का ही खोला गया है। प्रार्थीनी ने उक्त भूमि धर्मपालसिंह विक्रय कर दी तथा धर्मपालसिंह ने भूमि को प्राधिकृत भूमि रूपान्तरण अधिकारी लालसोट में आवेदन कर भूमि आबादी में सम्परिवर्तित करवा ली। उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या–4041 नगर पालिका के नाम तस्दीक हो गया। तहसीलदार, लालसोट ने दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थीनी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थीनी का हिस्सा 50/53 नवीन जमाबंदी बनाते समय भूलवश अंकित हुआ है तथा उक्त खाते से रामप्यारी पत्नि नाथूलाल कौम माली का हिस्सा विलोपित किया जाना उचित माना है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीनी को किये गये विक्रय पत्र की प्रति से भी यह स्पष्ट रूप से साबित है कि प्रार्थीनी को केवल खसरा नम्बर 1553 रकबा 3 बिस्वा एवं 1554 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का हिस्सा 50/53 विक्रय किया गया था। प्रार्थीनी की ओर से ऐसे किसी विक्रय पत्र की प्रति पेश नही की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त आराजी का विक्रय प्रार्थीनी को कभी किया गया है। प्रार्थीनी की

लगातार....4.....

ओर से अवैध एवं अनाधिकृत खातेदारी अंकन के आधार पर एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा, लालसोट से प्राप्त ऋण प्राप्त कर लिया गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीनी का कोई लेना देना नही है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे तथा अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः—

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामलाः—</u> पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2072—2075 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर प्रभूलाल, शम्भूलाल, जगदीश प्रसाद पि0 सुवालाल व रामकूरी पत्नि स्व0 सुवालाल हि0 3/53 मु0 रामप्यारी देवी पत्नि नाथुलाल हि0 50/53 कौम माली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी की संयुक्त खातेदारी प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण के नाम अंकित हिस्से अनुसार दर्ज है। जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थीगण की ओर से पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति, नामान्तरकरण की प्रति, तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी उन्होने प्रार्थीनी को कभी बेचे ही नही, बल्कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थीनी का हिस्सा 50/53 नवीन जमाबंदी बनाते समय भूलवश अंकित हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अप्रार्थीगण का प्रतिवाद भी विचाराधीन है। जिसका निर्णय यदि अप्रार्थीगण के पक्ष में होता है तो उनके हित भी प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के साथ—साथ अप्रार्थीगण के पक्ष में भी समान रूप से तय किया जाता है।
2. <u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः—</u> सुविधा की दृष्टि से दोनों बिन्दु एक साथ निस्तारित किए जा रहे हैं। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्ष वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बता रहे हैं। कब्जे का प्रश्न मूल वाद में तनकी बनाकर एवं साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता है। चूँकि प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षों में समान रूप से तय किया गया है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षों में समान रूप से तय किए जाते है।

प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उभय पक्षों के पक्ष में समान रूप से तय किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एवं अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। उक्त भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मौहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
दौसा (राज.)